प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव

noUn ik.M; dkyt vkQ Qkelh c:b] xkVkij] lglk i;kxjkt&221507 lklk;Vh@VLV & c:b i;kx f'k{kk lfefr c:b xkVkij lglk] i;kxjktA

पत्रांकः—प्राशिप / परिषद / 2022 / 5845 **लखनऊःदिनांक— 14—7—2022**

विषयः— सत्र 2022—23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी0सी0आई0) के पत्रांक 14—56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621—23 दिनांक 21—6—2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31—5—2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022—23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति / अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / पी0सी0आई0, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31—5—2022 एवं पी0सी0आई0, नई दिल्ली के उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14—56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621—23 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति / अनापत्ति पत्र मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 नं0 406 / 2022 में पारित अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022—23 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022—23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022—23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी0सी0आई0 एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों / मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने तथा स्थलीय निरीक्षण में मानकों / शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ0सं0— प्राशिप / परिषद / 2022 / 5846—47 **तद्दिनांक— 14—7—2022**

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार—कम—सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउसिंल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान—ए—गालिब मार्ग, नई दिल्ली— 110 002

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव